संख्या-07/2017/4208/नौ-8-16-11के0पी0ए0(बजट)/2016

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "**कान्हा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की नागर निकायों में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-09/2016/562/नौ-8-2016-21ज/2016, दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा "कान्हा पशु आश्रय योजना" प्रारम्भ किये जाने के आदेश जारी किये गये है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों की नागर निकायों में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में "कान्हा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत नगर पंचायत-पुरकाजी, जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित/प्रतिहस्ताक्षरित कर उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना का परीक्षण किये जाने के उपरान्त नगर पंचायत-पुरकाजी, जनपद-मुजफ्फरनगर को कांजी हाउस का निर्माण किये जाने हेतु रू0 100.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-09/2016/562/नौ-8-2016-21ज/2016, दिनांक 09 मार्च, 2016 के संबंध में "**कान्हा पशु आश्रय योजना**"के लिए प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन प्राप्त कार्य योजनाओं के आधार पर स्वीकृत की जा रही है।

(2) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(3) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत/प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये मानचित्र के अनुसार ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र/स्थलीय फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने पर द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(7) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(8) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित नागर निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. निदेशक नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा "कान्हा पशु आश्रय योजना"के अर्न्तगत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा "कान्हा पशु आश्रय योजना" केअन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 10 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।"

4. नागर निकायों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना/डी0पी0आर0 के सापेक्ष निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृत के लिए सम्बन्धित नागर निकायें ही कार्यदायी संस्था होंगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-06-कान्हा पशु आश्रय योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-09/2017/4208 (1)/नौ-8-16 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-पुरकाजी, जनपद-मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिए अपने राष्टीयकृत बैंक बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ एक सप्ताह के अन्दर निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, सचिवालय शाखा, बापू भवन, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी